



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2157/CG/24/2023-ESDW (RU-I)

दिनांक: 11.06.2025

श्री मयंक चतुर्वेदी,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायगढ़,
कलेक्टर कार्यालय,
रायगढ़ 496001, छत्तीसगढ़
ई-मेल: raigarh.cg@nic.in

श्री दिव्यांग कुमार पटेल,
पुलिस अधीक्षक, रायगढ़,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
रायगढ़-496001, छत्तीसगढ़,
ई-मेल: sp-raigarh.cg@nic.in

प्रबंध निदेशक,
महावीर एनर्जी कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड,
ग्राम-भोगारी, तहसील-घरघोडा,
जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़

प्रबंध निदेशक,
महावीर ग्लोबल कंपनी लिमिटेड,
ग्राम-भोगारी, तहसील-घरघोडा,
जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़

श्री मुन्ना लाल,
पिता-भागीरथी गौड़,
निवासी-साकिन-बमोहरी, थाना-सुरखी,
तहसील व जिला-सागर, मध्य प्रदेश

श्री मूरत सिंह,
पिता-करण गौड़,
निवासी-साकिन धावरी, थाना देवरी,
तहसील फैसली, जिला-सागर, मध्य प्रदेश

विषय: आदिवासी भूमि को महावीर एनर्जी कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड एवं महावीर ग्लोबल कंपनी लिमिटेड रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा मातहत आदिवासियों के नाम पर खरीद कर बेनामी संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री सत्यदेव शर्मा, अर्जुन विला, बी-6, कृष्णा वेली, विजयपुर बोईरदाद, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से दिनांक 21.08.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 31.08.2023 (प्रति संलग्न).

संदर्भ 2: आवेदक का अभ्यावेदन दिनांक 21.08.2023 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) द्वारा दिनांक 17.06.2025 को आहूत की गई सिटिंग/सुनवाई अपरिहार्य कारणों से दिनांक 23.06.2025 को पुनर्निर्धारित (Rescheduled) कर दी गई है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 23.06.2025 को पूर्व निर्धारित (दिनांक 17.06.2025 को सुनिश्चित) समय पर होने वाली सिटिंग/सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय में 6 वां तल, न्यायालय कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली पर मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

o/c

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सत्यदेव शर्मा,
अर्जुन विला, बी-6,
कृष्णा वेली, विजयपुर बोईरदाद,
रायगढ़, छत्तीसगढ़

कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

S.No 10120-10126

12-6-25

(एच.आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-20819839